वोकल फॉर लोकलः जम्मू-कश्मीर डीडीसी चुनाव

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

24 दिसम्बर, 2020

स्थानीय चुनाव जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करते हैं, जिसकी अभी आवश्यकता भी है।

जम्मू और कश्मीर के पहले जिला विकास परिषद चुनावों में मुख्य प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टियां- नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और पीपल्स कांफ्रेंस एक मंच पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के रूप में सामने आई हैं।

छह-पक्षीय मंच ने कश्मीर घाटी में 10 में से नौ जिलों में और जम्मू क्षेत्र में पीर पंजाल घाटी और चिनाब घाटी के तीन जिले में वोट प्राप्त किया है। गुपकार गठबंधन जम्मू-कश्मीर में कुल 280 सीटों में से 110 सीटें जीती हैं और भाजपा ने 75 सीटें जीती हैं, इस लिहाज से भाजपा केंद्र शासित प्रदेश में एकल सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी है। गुपकार गठबंधन और कांग्रेस के पास जम्मू-कश्मीर में कुल 20 में से 12 से 13 जिलों में अपने अध्यक्ष होने की संभावना है और भाजपा पांच से छह हो सकती है।

डीडीसी चुनावों में अधिकांश सीटों के रुझान उम्मीदों के मुताबिक ही रहे है। हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र के नतीजे बीजेपी के पक्ष में दिखे, वहीं मुसलमान बहुल कश्मीर क्षेत्र में पीएजीडी का दबदबा दिखा। केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद यह पहली चुनावी प्रक्रिया थी। पीएजीडी के नेताओं का कहना है कि नतीजें अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की मांग पर जनता के समर्थन को दर्शाता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को एक अर्ध-स्वायत्त राज्य का दर्जा प्रदान करता है।

जम्मू में रहने वाले हजारों पाकिस्तानी शरणार्थी जो नागरिकता और मतदान के अधिकार के लिए दशकों से जूझ रहे थे, उन्हें पहली बार इन चुनावों में मतदान का अवसर मिला है।

रोशनी भूमि घोटाला, क्रिकेट घोटाला और अन्य मामलों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा घाटी आधारित राजनेताओं के खिलाफ अचानक कदम, और पीडीपी नेता वहीद-उर-रहमान पारा की गिरफ्तारी ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। हालांकि, चुनावों को जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के रूप में देखा गया, जिसमें पिछले साल अधिकांश क्षेत्रीय नेताओं की गिरफ्तारी और राजनीतिक गतिविधियों को काफी हद तक निलंबित किया गया था। इस चुनाव को पिछले 30 वर्षों में एक दुर्लभ चुनावी प्रक्रिया भी कहा जा रहा हैं जहां आतंकवादी संगठनों और अलगाववादी समूहों द्वारा चुनाव बहिष्कार के लिए जोरदार प्रचार नहीं किया गया।

दक्षिण कश्मीर में पिछले एक साल में हुए उग्रवाद और स्थानीय लोगों द्वारा इसमें भाग लेने के कारण मतदान काफी प्रभावित हुआ है और यह अधिकांश क्षेत्रों में 20% से कम मतदान का भी कारण बना। 2018 में पिछली पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के दौरान क्षेत्रीय दलों द्वारा इसका बहिष्कार किए जाने पर भाजपा ने श्रीनगर, बांदीपोरा और पुलवामा में तीन सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा ने जम्मू क्षेत्र के सांबा, उधमपुर, जम्मू और कठुआ में भी मजबूत पकड़ बना रखी है।

बेशक, ये चुनाव शांतिपूर्ण रहे और इनका मतदान प्रतिशत भी कई चुनावों से बेहतर रहा। इसका यह मतलब जरूर है कि अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों की लाख कोशिशों के बावजूद जम्मू-कश्मीर के लोगों का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक उपायों में यकीन बना हुआ है। लेकिन क्या इसका यह अर्थ भी निकाला जा सकता है कि अनुच्छेद 370 के तहत हासिल विशेष दर्जा छीन लिए जाने से लोग खुश हैं? इस दूसरे निष्कर्ष तक पहुंचना जल्दबाजी ही समझी जाएगी। कारण यह है कि विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद की यह पूरी अवधि जम्मू-कश्मीर में हर कीमत पर शांति बनाए रखने के प्रयासों को ही समर्पित रही है। केंद्र सरकार संसद में अपनी पहलकदमी के चाहे जो भी फायदे बताती रही हो, उन्हें जमीन पर उतारने लायक माहौल वहां नहीं बन सका।

केंद्र को जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय दलों की भूमिका की सराहना करनी चाहिए। राज्य के चुनाव की बहाली और विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं।

इन चुनावों ने यह भी संकेत दिया है कि विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारी की जा सकती है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जम्मू-कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली सशक्त बने। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे राज्य की जनता को यह आभास हो कि जिला विकास परिषद के निर्वाचित सदस्यों के जरिये उनकी समस्याओं का समाधान कहीं अधिक आसानी से होने लगा है।

जम्मू और कश्मीर का रोशनी अधिनियम

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 2001 के रोशनी अधिनियम, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, के कथित लाभार्थियों की सूचियों की एक श्रृंखला जारी की है।
- विदित हो कि इस अधिनियम के तहत हुए भूमि के आवंटन की जाँच को सी.बी.आई. द्वारा किये जाने के आदेश दिये गये हैं।
- बता दें कि जम्मू-कश्मीर, 1950 में लैंड रिफॉर्म लॉ लाने वाला पहला राज्य था।
- 25 हजार करोड़ के इस जमीन घोटाले में कई पार्टी के नेताओं के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।

रोशनी अधिनियम क्या था?

- औपचारिक रूप से जम्मू-कश्मीर राज्य भूमि (कब्जाधारी के लिये स्वामित्व का अधिकार) अधिनियम, 2001 को तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए फंड एकत्रित करने के उद्देश्य से बनाया था।
- इस कानून को 'रोशनी' नाम दिया गया था।
- इसके अनुसार, भूमि का मालिकाना हक उसके अनधिकृत कब्जेदारों को इस शर्त पर दिया जाना था कि वे बाजार भाव पर सरकार को भूमि की कीमत का भुगतान करेंगे।
- इसके लिए कटऑफ मूल्य 1990 की गाइडलाइन के अनुसार तय किए गए थे।
- शुरुआत में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों को कृषि के लिए मालिकाना हक दिया गया।
- इस अधिनियम में दो बार संशोधन किए गए, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आजाद की सरकार के कार्यकाल में हुए।
- उस दौरान कटऑफ मूल्य पहले 2004 और बाद में 2007 के हिसाब से कर दिए गए।
- 2014 में सीएजी की रिपोर्ट आई, जिसमें खुलासा हुआ कि 2007 से 2013 के बीच जमीन ट्रांसफर करने के मामले में गड़बड़ी हुई।
- सीएजी रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार ने 25 हजार करोड़ के बजाय सिर्फ 76 करोड़ रुपये ही जमा कराए।
- जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है।।

क्या है घोटाला?

- इस अधिनियम के तहत हुए भूमि हस्तांतरणों की जाँच में पाया गया कि गुलमर्ग में भूमि कई अयोग्य लाभार्थियों को दी गई थी।
- इसके अलावा कई सरकारी अधिकारियों ने अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा कर लिया था और विभिन्न जगहों पर राज्य भूमि का स्वामित्व ऐसे लोगों को दे दिया था, जो रोशनी अधिनियम के तहत पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।
- कैग की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि लक्षित 25,000 करोड़ रुपए के मुकाबले, वर्ष 2007 और वर्ष 2013 के बीच भूमि के हस्तांतरण से केवल 76 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी।
- कैग की रिपोर्ट में स्थाई समिति द्वारा तय की गई कीमतों में मनमानी तथा अनियमितताओं को मुख्य वजह बताते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह घोटाला राजनेताओं और सम्पन्न लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया था।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में सुर्खियों में रहे रोशनी अधिनियम (Roshni Act) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. इस अधिनियम को वर्ष 2001 में लागू किया गया था, इसका उद्देश्य अनधिकृत भूमि को नियमित करना था।
2. सरकार द्वारा इस कानून को अमान्य (null and void) घोषित कर दिया गया है।
3. जम्मू-कश्मीर, 1950 में लैंड रिफॉर्म लॉ लाने वाला पहला राज्य था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** 1 और 3
(c) 2 और 3 **(d)** उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of Roshni Act, recently in news:-

1. This Act was enacted in the year 2001; its purpose was to regularize unauthorized land.
2. This law has been declared null and void by the government.
3. Jammu and Kashmir was the first state to introduce Land Reform Law in 1950.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 **(b)** 1 and 3
(c) 2 and 3 **(d)** All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. केंद्र को जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय दलों की भूमिका का मूल्यांकन करना चाहिए। इस कथन के संदर्भ में हाल में हुए जम्मू-कश्मीर डीडीसी चुनाव के परिणामों की जांच करें।

(250 शब्द)

Q. The Centre should evaluate the role of regional parties in enhancing peace and stability in Jammu and Kashmir. In the context of this statement, examine the results of the recent Jammu and Kashmir DDC election. (250 Words)

world
Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।